न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर
(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

(1) अपील संख्या :– 100/2012 (धारा 76 भू राज0भू.अधि0 1956) (RCMS No.2012/00043)

1. श्रीमती जरीना पत्नी श्री हसनूखां जाति मेव निवासी पथवारी तहसील कामां जिला भरतपुर।
2. प्रहलाद पुत्र श्री सोहनलाल जाति अहीर निवासी पथवारी तहसील कामां जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. हसीना पुत्री टुण्डल पत्नी आसीन जाति मेव निवासी पथवारी तहसील कामां हाल आबाद वास नन्देरा तहसील कामां जिला भरतपुर।
2. अमीना
3. समीना
4. सायरा वेवा टुण्डल

} पुत्रीयान टुण्डल } अकवाम मेव निवासी पथवारी तहसील कामां जिला भरतपुर।

.....असल रैस्पोडेन्ट

5. ग्राम पंचायत ऐंचवाडा जरिये सरपंच ग्राम पचांयत ऐंचवाड तहसील कामां जिला भरतपुर।
6. प्रकाश पुत्र सोहनलाल जाति अहीर निवासी पथवारी तहसील कामां जिला भरतपुर।

..... तरतीवी रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपजिला कलक्टर कामां दिनांक 22.12.2011 व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 327 दिनांक 11.1.96 ग्राम पथवारी ग्राम पंचायत ऐंचवाडी तहसील कामां जिला भरतपुर।

(2) अपील संख्या :– 101/2012 (धारा 75 भू राज0भू.अधि0 1956) (RCMS No.2012/00044)

1. श्रीमती जरीना पत्नी श्री हसनूखां जाति मेव निवासी पथवारी तहसील कामां जिला भरतपुर।
2. प्रहलाद पुत्र श्री सोहनलाल जाति अहीर निवासी पथवारी तहसील कामां जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. हसीना पुत्री टुण्डल पत्नी आसीन जाति मेव निवासी पथवारी तहसील कामां हाल आबाद वास नन्देरा तहसील कामां जिला भरतपुर।
2. अमीना
3. समीना
4. सायरा वेवा टुण्डल

} पुत्रीयान टुण्डल } अकवाम मेव निवासी पथवारी तहसील कामां जिला भरतपुर।

.....असल रैस्पोडेन्ट

5. प्रकाश पुत्र सोहनलाल जाति अहीर निवासी पथवारी तहसील कामां जिला भरतपुर।

..... तरतीवी रैस्पोडेन्ट

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार कामां दिनांक 12.1.2012 व सिलसिले विरासतन नामान्तरकरण संख्या 327 दिनांक 12.1.2012 मृतक टूण्डल निवासी ग्राम पथवारी तहसील कामां जिला भरतपुर

उपस्थितिः—

1. श्री राजेश कुमार सोगरवाल वकील अपीलान्टस।
2. श्री प्रमोद कुमार उपमन वकील रैस्पोडेन्टस।

निर्णय

दिनांकः— 31.07.2023

उपरोक्त दोनों अपीलों में समान पक्षकार होने और समान प्रकृति की होने तथा समान बिन्दु तय किये जाने के कारण इन दोनों अपीलों का निर्णय एक ही निर्णय से किया जा रहा है। उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 75 एवं 76 भू—राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्डाधिकारी कामां के निर्णय दिनांक 22.12.2011 एवं तहसीलदार कामां के निर्णय दिनांक 12.1.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि खातेदार स्व0 टुण्डल पुत्र सुल्लड की मृत्योपरान्त उसके विरासतन नामान्तरकरण संख्या 327 दिनांक 11.1.1996 मृतक टुण्डल की पत्नी सायरा वेवा टुण्डल मेव साकिन पथवारी के नाम ग्राम पंचायत ऐंचवाडा पंचायत समिति कामां के द्वारा स्वीकार किया गया। इससे व्यथित होकर रैस्पो0 1 हसीना के द्वारा इस नामान्तरकरण संख्या 327 को तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी कामां के समक्ष चुनौती दी गई। जिस पर तहत अदालत उपखण्डाधिकारी कामां द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.2011 से ग्राम पंचायत ऐंचवाडा द्वारा स्वीकृत किए गए नामान्तरण संख्या 327 दिनांक 11.1.1996 को निरस्त कर प्रकरण को पुनः तहसीलदार कामां को रिमाण्ड करते हुये यह निर्देश दिये गये कि मृतक खातेदार टुण्डल के समस्त विधिक वारिसान की जांच कर पुनः नये सिरे से विरासतन नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। उपखण्डाधिकारी कामां के आदेश दिनांक 22.12.2011 के खिलाफ न्यायालय हाजा में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रथम अपील पेश की गई है।

उपखण्डाधिकारी कामां द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.12.2011 की पालना में तहसीलदार कामां द्वारा मृतक टूण्डल के विधिक वारिसान की जांच कर बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश 12.1.2012 पारित करते हुये मृतक टूण्डल के वारिसान मु0 सायरा वेवा टूण्डल एवं अमीना, हसीना वालिग, समीना नावालिग पुत्रीयान टूण्डल सरपरस्त वाल्दा सायरा माता खुद कौम मेव निवासी पथवारी के नाम वहिस्सा बराबर खातेदार स्वीकृत गया गया। तहसीलदार कामां की ओर से पारित उपरोक्त आदेश के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत द्वितीय अपील पेश की गई है। उपर्युक्त दोनों अपीलें पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दोनों अपीलों के मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि ग्राम पंचायत ऐंचवाडा की ओर से स्वीकृत किए गए नामांतकरण संख्या 327 दिनांक 11.01.1996 को उपखण्ड अधिकारी कामां द्वारा निर्णय दिनांक 22.12.2011 के द्वारा निरस्त कर प्रकरण पुनः

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

सुनवाई हेतु तहसीलदार कामां को प्रेषित किया था। उक्त निर्णय विधि विरूद्ध व तथ्यों के विपरित था। तहसीलदार कामां ने उपरोक्त निर्णय की पालना में आदेश दिनांक 12.01.2012 पारित कर विरासत का नामांतकरण खोले जाने का आदेश पारित किया है। चूंकि उपरोक्त दोनों प्रकरणों में अपीलान्टस को सुनवाई का कोई मौका व अवसर नहीं दिया गया था। इसलिए वह अपना पक्ष अदालत मातहत में नहीं रख पाया। जबकि उक्त प्रकरण में वस्तुस्थिति यह है कि विवादित आराजी को अपीलान्टस ने जरिये पंजीकृत बयनामा रिकार्डेड खातेदार फौजू से दिनांक 22.6.1998 व दिनांक 17.5.1999 को जरिये पंजीकृत बयनामा कय किया हुआ था। जिसके आधार पर अपीलान्ट का राजस्व रिकार्ड में अमल भी हो रहा था, परन्तु दोनों अदालत मातहत ने अपीलान्ट को बिना सुने व सुनवाई का अवसर दिए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो जो निरस्त योग्य है। तहत अदालतों ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि मृतक टुण्डल की विरासत ग्राम पंचायत ने दिनांक 11.01.1996 उसकी वेवा मु0 सायरा के नाम स्वीकार करने के बाद रैस्पो0 संख्या 2 अमीना ने नियमित वाद घोषणात्मक न्यायालय सहायक कलक्टर कामां में प्रस्तुत किया था जिसमें राजीनामा पेश कर दावे को दिनांक 13.1.1998 को खारिज करा लिया था। इस राजीनामे में स्वीकार किया गया था कि जो विरासत दाखिल खारिज संख्या 327 माता मु0 सायरा के नाम स्वीकार हुआ है तथा उसके द्वारा समस्त आराजीयात का बयनामा वहक फौजू दिनांक 6.4.1996/8.4.1996 को किया गया है वह हस्तान्तरण सही है। उक्त आराजीयात पर फौजू का ही कब्जा है इसलिऐ अव हम दावा नहीं चलाना चाहते है। उसकी इस प्रार्थना पत्र पर न्यायालय ने दावा खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध कोई अपील आदि नहीं की गई है। जव रैस्पोडेन्ट का नियमित घोषणात्मक दावा ही खारिज हो चुका है तो 10 वर्ष वाद रैस्पोडेन्ट की ओर से अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी कामां के न्यायालय में प्रस्तुत अपील संधारण योग्य नहीं रहती है और ना ही अपीलाधीन आदेश ही पारित किया जा सकता था। इस आधार पर अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि रैस्पोडेन्ट ने केता फौजू के हक में बयनामा के आधार पर स्वीकार किये गये दाखिल खारिज के विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर में प्रस्तुत की गई जिसमें भी रैस्पोडेन्टान ने राजीनामा पेश करते हुये उक्त समस्त तथ्यों को स्वीकार करते हुये अपील को दिनांक 02.06.1998 को खारिज करा लिया था। इस आदेश के विरूद्ध भी रैस्पोडेन्ट ने कोई अपील या ऐतराज नहीं किए जाने के कारण उक्त आदेश अंतिम हो चुका था। इसलिए रैस्पोडेन्ट की अपील न्यायालय तहत में न तो मैन्टनेबल थी और न ही कोई आदेश पारित किया जा सकता था। फिर भी तहत अदालत ने आदेश जेरे अपील पारित कर दिया है जो काविले खारिजी के है। तहत अदालत ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि मृतक टुण्डल की विरासत का नामांतकरण खुलने के बाद उसकी वेवा ने आराजी मुतनाजा को फौजू को जरिये पंजीकृत बयनामा विकय कर दिया था तथा फौजू द्वारा समस्त आराजी मुतनाजा को अपीलान्टान को दिनांक 22.6.1998 व 17.5.1999 को कर दिया है जिनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुके हैं। फिर भी अदालत तहत ने अपीलान्टान को बिना पक्षकार बनाये व सुनने का अवसर न देते हुये आलौच्य आदेश पारित कर दिया है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत है। उपरोक्त समस्त तथ्यों को छुपाते हुये व अदालत को धोखा देते हुये रैस्पोडेन्टान ने आलौच्य आदेश प्राप्त कर लिया है जो आपराधिक

31.7.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

कृत्य की तारीफ में आता है जो विधि–विरूद्ध होने के कारण काबिले मंसूखी है। इसके अलावा तहत अदालत ने आलौच्य आदेश जेर अपील पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर भी कतई गौर नहीं किया कि रैस्पोडेन्टान द्वारा प्रस्तुत की गई अपील मियाद बाहर है जबकि उन्हें विवादित दाखिल खारिज की पूर्ण जानकारी पूर्व से ही रही है क्योंकि उनके द्वारा भिन्न–भिन्न कार्यवाही अलग–अलग न्यायालयों में की गई थी। उपरोक्त समस्त कार्यवाहियां समाप्त होने के बाद करीब 9 साल बाद उक्त तथ्यों को छुपाते हुये रैस्पोडेन्ट ने अदालत मातहत में अपील पेश की जिसको पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का कोई औचित्यपूर्ण कारण भी नहीं बताया तथा अदालत तहत ने भी आलौच्य आदेश में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का कोई आदेश पारित नहीं किया है। जबकि मुताबिक कानून मियाद बिन्दु पर ही सर्वप्रथम निर्णय पारित करना आवश्यक होता है। अतः मियाद संबंधी बिन्दु तय किए बिना पारित किया गया आदेश विधिविरूद्ध व नियमों के विपरित होने के कारण भी निरस्तनीय है। इसके अलावा विवादित दाखिल खारिज आराजी मुतनाजा की बाबत रैस्पोडेन्टान समीना व हसीना ने एक दावा घोषणात्मक न्यायालय उपखण्डाधिकारी कामां में दावा संख्या 113/05 प्रस्तुत किया था जो दिनांक 7.8.2006 को खारिज किया गया था। जिसकी अपील उन्होंने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के समक्ष अपील संख्या 140/06 प्रस्तुत की है जो आज भी लम्बित है इसमें स्थगन आदेश जारी किया गया है। फिर भी अदालत तहत ने नियमित वाद लम्बित होने के बावजूद भी आदेश जेरे अपील पारित किया है जो विधिसंगत नहीं होने के कारण निरस्तनीय है।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि उपखण्ड अधिकारी कामां के उक्त विधि विरूद्ध रिमाण्ड आदेश दिनांक 12.12.2011 की पालना में तहसीलदार कामां ने भी अपीलान्ट को तलब किये बिना कोई सूचना दिये निर्णय दिनांक 12.1.2012 पारित किया है जिसके द्वारा टूण्डल के वारिसान के नाम दाखिल खारिज स्वीकार किया गया है जबकि टूण्डल की पत्नी इस जमीन को अपीलान्टस के नाम पूर्व में ही बेचान कर चुकी है तो इस जमीन पर अब किसी वारिसान का अधिकार नहीं रह जाता है क्योंकि वे अपने स्वत्व का पूर्व में ही बेचान कर चुकी है। रैस्पोडेन्टस के द्वारा मिलीभगत से उक्त दोनों तहत अदालतों में कार्यवाही कराई गई है। इसलिए तहत अदालतों के हर दो अपीलधीन आदेश काबिले मंसूखी है। चूंकि अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की बैक पर पारित किया गया है इसलिऐ अपीलान्ट को इस अपीलाधीन आदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उपखण्ड अधिकारी कामां के अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी 5.4.2012 को उस समय हुई जब रैस्पोडेन्टस ने कहा कि हम इस जमीन का बेचान कर रहे है हमारे नाम दाखिला खारिजा हो चुका है। इसके बाद इसकी जानकारी पटवारी हल्का से की गई तो दिनांक 06.04.2012 को दाखिल खारिज की नकल प्राप्त की गई उसके बाद अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 9.4.2012 को पेश किया जिस पर नकल उसी दिनांक 9.4.2012 को प्राप्त हुई। इसी प्रकार तहसीलदार कामां द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.1.2012 भी अपीलान्टस की बैक पर पारित किया गया आदेश है इसलिऐ इसकी भी जानकारी अपीलान्टस को नहीं हुई क्योंकि यह आदेश भी तहसीलदार कामां ने अपीलान्ट को बिना सुने पारित किया गया है। जानकारी होते ही इस आदेश की भी नकल हेतु दिनांक 6.4.2012 को आवेदन किया और उसी दिन नकल प्राप्त की गई। इसलिऐ उक्त दोनों आदेश

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

31/7/2013
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

जेरे अपील के विरूद्ध यह अपील अपीलान्ट द्वारा जानकारी मिलने व नकल की दिनांक से बिना बिलम्ब के प्रस्तुत की जा रही है। डिले कन्डोन के लिये धारा –5 प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र दोनों अपीलों में अलग–अलग संलग्न किए गए हैं। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार करते हुए उपखण्ड अधिकारी कामां द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.2011 व इसकी पालना में तहसीलदार कामां की ओर से पारित आदेश दिनांक 12.01.2012 निरस्त किया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए वकील रैस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि ग्राम पंचायत ऐंचवाडा की ओर से स्वीकृत नामांतकरण संख्या 327 दिनांक 11.01.1996 के विरूद्ध रैस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा अपील पेश की गई थी। इस अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। जिसे अदालत हाजा ने अपील के पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.2011 को पारित किया गया है। जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा खातेदार मृतक टूण्डल के समस्त वारिसान के नाम दाखिल खारिज में नहीं दर्शाया है। इस कारण नामांतकरण निरस्त योग्य है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने इस आधार पर अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 327 दिनांक 11.01.1996 को निरस्त कर प्रकरण नायब तहसीलदार को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि वे नए सिरे से मौके पर जाकर वारिसान की जांच कर पुनः दाखिल खारिजा निर्णित करें। अर्थात विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने नायब तहसीलदार को मृतक टूण्डल के वारिसान की विधिवत जांच करने के बाद नामांतकरण खोले जाने के आदेश पारित किए थे। जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैद्यानिकता या अनियमितता नहीं है। क्योंकि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में विवादित नामांतकरण को स्वीकृत करने की शक्तियां तहसीलदार/नायब तहसीलदार में निहित हैं।

उपखण्ड अधिकारी कामां के आदेश दिनांक 22.12.2011 की पालना में तहसीलदार कामां द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत अपील के पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर दिनांक 12.01.2012 को अपना पक्ष रखे जाने की अपेक्षा की इस नोटिस की पालना में मृतक टूण्डल के वारिस सायरा पत्नि टूण्डल, अमीना पुत्री टूण्डल, हसीना पुत्री टूण्डल तहसीलदार के न्यायालय में उपस्थित हुई व इनके बयान आदि लेने के बाद तहसीलदार कामां द्वारा मृतक खातेदार टूण्डल के वारिसान के नाम नामांतकरण स्वीकृत किए जाने का आदेश दिया गया। जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैद्यानिकता या अनियमितता नहीं है। जहां तक वकील अपीलान्ट द्वार बहस में दिया गया यह तर्क कि विवादित भूमि के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में वाद विचाराधीन होने के कारण उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार को नामांतकरण के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता था तो इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अदालत मातहत के समक्ष इस तरह का कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं हुआ था जिससे यह स्पष्ट होता हो कि विवादित भूमि के संबंध में किसी न्यायालय में वाद विचाराधीन हो। इसके अलावा नामांतकरण के माध्यम से किसी भी पक्ष के हक–हकूक या स्वत्व निर्धारित नहीं किए जा सकते वरन् इस तरह की कार्यवाही केवल नियमित वाद के माध्यम से ही हो सकती है। उपखण्ड अधिकारी कामां द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.12.2011 में मृतक खातेदार के वारिसान की जांच मौके पर जाकर करने के निर्देश तहसीलदार कामां को दिए थे। जिसकी पालना में तहसीलदार

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

कामां द्वारा मौके पर जाकर जांच करने व वारिसान के बयान आदि लेने के बाद ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.01.2012 को नामांतकरण संख्या 327 की पुश्त पर पारित किया है जो कि नियमानुसार है। जहां तक अपीलान्टस के द्वारा विवादित भूमि को कय किए जाने का प्रश्न है तो एक वारिस द्वारा दूसरे वारिस के हिस्से को विकय नहीं किया जा सकता है। इसी तरह विरासत के नामांतकरण में कब्जे के बारे में कोई जांच नहीं की जाती है वरन् वारिसान के संबंध में जांच करने के बाद नामांतकरण तस्दीक किए जाने का प्रावधान है जो कि एक फिसकल व संक्षिप्त कार्यवाही है। जिससे किसी भी पक्ष को कोई हक–हकूक या स्वत्व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे तथा उपखण्ड अधिकारी कामां द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.12.2011 जिसकी पालना में तहसीलदार कामां द्वारा वारिसों की विस्तृत जांच कर आदेश दिनांक 12.01.2012 के द्वारा नामांतकरण स्वीकृत किया गया है यथावत रखा जावे।

रिब्यूटल में पुनः वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि अपीलान्टस विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं, जिन्हें अदालत मातहत में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। परन्तु अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाए तथा तथ्यों को छिपाते हुए दोनों अदालत मातहतों से आदेश पारित करवाएं हैं, जो कि नियम विरूद्ध है। अपीलान्ट की ओर से दोनों आदेशों के विरूद्ध अपील पेश किए जाने की अनुमति हेतु सी.पी.सी की धारा 96 के तहत अदालत हाजा में प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है तथा विवादित भूमि में अपीलान्ट के पूर्ण रूप से हित निहित होने के कारण दोनों निर्णयों से प्रभावित हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.12.2011 व 12.01.2012 निरस्त किया जाकर विवादित भूमि को अपीलान्ट के नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावें।

अपीलान्ट्स व रैस्पोडेन्टस के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई तथा मनन किया गया व अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। अपीलान्टस की ओर से उपखण्ड अधिकारी कामां की ओर से पारित आदेश दिनांक 22.12.2011 व तहसीलदार कामां की ओर से पारित आदेश दिनांक 12.01.2012 के विरूद्ध अदालत हाजा में दो प्रथक–प्रथक अपीलें दिनांक 10.04.2012 को पेश की गई हैं। उक्त दोनों अपीलें मियाद बाहर होने के कारण सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट्स की ओर से मीमो आफ अपील के साथ संलग्न दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में अपीलाधीन निर्णयों की जानकारी दिनांक 05.04.2012 को उस समय होने का उल्लेख किया है जब रैस्पोडेन्ट द्वारा विवादित भूमि को अन्य व्यक्तियों को विकय किये जाने की कार्यवाही की जा रही थी। जिस पर उनके द्वारा दिनांक 06.04.2012 को पटवारी हल्का से दाखिल खारिजा की नकल प्राप्त करने व जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील पेश कर अपीलान्ट्स की ओर से प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का उल्लेख किया गया है। अपीलान्ट्स की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का रैस्पों0 की ओर से न तो कोई जबाब पेश किया गया और न ही किसी प्रकार का कोई काउन्टर शपथ पत्र ही प्रस्तुत किया गया जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्टस को दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक से पूर्व अपीलाधीन निर्णयों की जानकारी रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत दफा 5

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में वर्णित दिनांक तक अविश्वास करने का कारण नहीं रह जाता है। वैसे भी माननीय राज0 उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कई नजीरों में मियाद के संबंध में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये है कि अपीलीय न्यायालयों को तकनीकी आधार पर अपील को निर्णित करने से बचना चाहिये तथा मियाद संबंधी बिन्दु पर उदार रूख रखना चाहिये। इस संबंध में निम्न नजीर उल्लेखनीय है:—

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में आर.आर.डी. 2002 पेज 37 पर उद्धरित निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि:—

"Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large

would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल ने आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257 पर उद्धरित निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि—

"Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal"

अतः उक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों से सादर सहमत होते हुए अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के आधार पर दोनों अपीलें अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो रैस्पोंडेन्ट संख्या—1 हसीना के द्वारा, रैस्पो0 संख्या—4 को असल रैस्पों0 व रैस्पों0 संख्या—2 व 3 को तरतीवी रैस्पों0 बनाकर उपखण्ड अधिकारी कामां के न्यायालय में ग्राम पंचायत ऐंचवाडा की ओर से स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण संख्या 327 दिनांक 11.01.96 के विरूद्ध राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जिसके साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र भी संलग्न किया गया। उपखण्ड अधिकारी कामां ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.12.2011 के द्वारा रैस्पों0 संख्या—1 की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर ग्राम पंचायत ऐचवाडा की ओर से स्वीकृत किये गये नामा0 संख्या 327 दिनांक 11.01.96 को निरस्त कर प्रकरण नायब तहसीलदार को इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया गया कि वे नये सिरे से मौके पर जाकर वारिसान की जांच कर पुनः दाखिल खारिज निर्णित करें। उपखण्ड अधिकारी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में इस तरह का कोई तथ्य उनके समक्ष दौराने विचाराधीन अपील प्रस्तुत नहीं हुआ कि विवादित भूमि को मृतक टुन्डल की वारिस द्वारा अन्य किसी को भूमि का विक्रय कर दिया गया है। अथवा विवादित भूमि के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में वाद चल रहे हों। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी कामां की ओर से विरासत के प्रकरण में पारित यह निर्णय कि नायब तहसीलदार नये सिरे से मौके पर जाकर वारिसान की जांच कर पुनः दाखिल खारिज निर्णित करें, उचित प्रतीत होता है। इसके अलावा उपखण्ड अधिकारी कामां की ओर से पारित आदेश दिनांक 22.12.2011 के क्रम में प्रकरण तहसील कार्यालय में दर्ज कर मृतक टुन्डल के वारिसान को विधिवत नोटिस जारी

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

किया गया जिसमें दिनांक 12.01.2012 को तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे जाने की अपेक्षा की गई। इन नोटिसेज की पालना में मृतक टुन्डल के वारिसान तहसील कार्यालय में उपस्थित हुए जिसकी पुष्टि तहसील कार्यालय की अपीलाधीन निर्णय संबंधी पत्रावली की दिनांक 12.01.2012 की आदेशिका पर हो रहे हस्ताक्षरों से हो रही है। दिनांक 12.01.2012 को वारिसान के बयान आदि लेने के बाद पुनः मृतक टुन्डल के वारिसान के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। तहसील कार्यालय में चली उपरोक्त कार्यवाही के दौरान ही किसी तरह का कोई रिकार्ड या दस्तावेज दौराने जांच तहसीलदार/नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ जिससे यह स्पष्ट होता हो कि विवादित भूमि को मृतक टुन्डल के वारिसान द्वारा अपीलान्ट्स को विकय कर दिया गया हो अथवा विभिन्न न्यायालयों में विवादित भूमि के संबंध में वाद चले हों। चूंकि नामा0 संबंधी प्रक्रिया एक फिसकल प्रोसीडिंग्स है जिसके माध्यम से किसी भी पक्ष के हक–हकूक या स्वत्व तय नहीं किये जाते हैं वरन् इस प्रकिया में राजस्व लगान किससे लिया जावेगा इस बिन्दू को देखा जाता है। इस संबंध में आर.आर.टी. 2019 पेज 593(एस.सी.) पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार नामा0 भूमि पर स्वत्व का सृजन अथवा समाप्त नही करता न स्पष्ट पर यह उपधारणात्मक मूल्य रखता है– भूराजस्व का भुगतान करने का जिस व्यक्ति के पक्ष में आदेश दिया है नामा0 समर्थ बनाता है। इससे यह स्पष्ट है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही एक वित्तीय कार्यवाही है जिससे कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। इसके लिये पक्षकारों को अपने हक व स्वामित्व को स्तब्ध करने के लिये उचित संस्थान में घोषणा का दावा करना चाहिये। उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी कामां की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2011 की पालना में तहसीलदार कामां द्वारा मृतक खातेदार के विरासत की विस्तृत जांच कर आदेश दिनांक 12.01.2012 के द्वारा पुनः नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीलों के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी कामां की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.12.2011 व तहसीलदार कामां की ओर से पारित आदेश दिनांक 12.01.2012 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 31.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर